कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 5543 /प्रपत्र–ख/2013–14 लखनऊःदिनांकः 20.02.2014

अल्पकालीन निविदा सूचना

'मनोरंजन कर विभाग में उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली,1981 के नियम–13 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आमोदों में प्रयोग होने वाले प्रपत्र ख (फार्म बी) की आपूर्ति हेतु इंडियन बैंक एशोसिऐशन/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमाणित सिक्योरिटी प्रेसों से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रपत्र ख की आपूर्ति 80 जी0एस0एम0 पेपर पर छपाई कर उसे 100 फार्म जिसमें 100 पन्ने प्रतिलिपि के रूप में रहेंगे, के कवर (130 जी0एस0एम0 का ब्राउन क्राफ्ट पेपर) सहित रजिस्टर के रूप में एक वर्ष हेतु कुल 15 हजार रजिस्टरों की आपूर्ति मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ में की जायेगी। रजिस्टर आपूर्ति के लिए सील बन्द निविदा दिनांक 10.03.2014 के अपरान्ह 3.00 बजे सिक्योरिटी प्रेसों से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

निविदा देने वाला सिक्योरिटी प्रेस प्रिटिंग का कार्य स्वयं करेगा तथा इस कार्य को पूर्णतया गोपनीय रखेगा। निविदा की विस्तृत शर्ते, निविदा प्रपत्र–'तकनीकी भाव–पत्र', 'वित्तीय–भाव' पत्र एवं 'प्रपत्र ख' का नमूना कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,कमरा नं0 816 आठवीं मंजिल, जवाहर भवन लखनऊ से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशित होने के दिनांक से दिनांक 03.03.2014 को मध्यान्ह 12 बजे तक निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 10,000/–(रू0 दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट मनोरंजन कर आयुक्त के नाम से, जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जवाहर भवन लखनऊ को देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। समस्त निविदादाताओं को अपनी निविदायें 2 सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा जिसमें एक लिफाफा (तकनीकी भाव–पत्र) में निविदादाता का नाम, सिक्योरिटी प्रेस का नाम (अभिलेख सहित), आई.बी.ए./आर.बी.आई. का प्रमाण पत्र, धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, तथा प्रपत्र ख का नमूना रखा जायेगा। दूसरे सीलबन्द लिफाफे (वित्तीय भाव–पत्र) में निविदादाता का नाम, सिक्योरिटी प्रेस का नाम तथा मूल्य जिस पर प्रपत्र ख पुस्तिका छाप कर विभाग में आपूर्ति करने हेतु तैयार हैं।

समस्त निविदादाता अपनी निविदायें एक लिफाफे में, जिसमें निविदा संख्या,दिनांक व सिक्योरिटी प्रेस का नाम, पूरा पता सहित अंकित करते हुए विधिवत सीलबन्द करके प्रस्तुत करेंगे, जिसके अन्दर एक सीलबन्द लिफाफा तकनीकी भाव–पत्र एवं एक सीलबन्द लिफाफा वित्तीय भाव–पत्र का होगा। तकनीकी भाव–पत्र के लिफाफे के ऊपर तकनीकी भाव–पत्र एवं वित्तीय भाव–पत्र के लिफाफे के ऊपर वित्तीय भाव–पत्र लिखा होना चाहिए। दिनांक 03.03. 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे(निविदा खुलने का दिनांक) सर्वप्रथम तकनीकी भाव–पत्र का लिफाफा खोला जायेगा एवं इसके अन्तर्गत जिस निविदादाता द्वारा समस्त शर्तो को पूरा किया जायेगा केवल उसी का वित्तीय भाव–पत्र वाला लिफाफा खोला जायेगा। मनोरंजन कर आयुक्त उत्तर प्रदेश को एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा तथा किसी विवाद की स्थिति में मनोरंजन कर आयुक्त उत्तर प्रदेश आरविट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा।

उक्त निविदा विभाग की वेब साईट http\:etax.up.nic.in में भी उपलब्ध है।

(महेन्द्र सिंह)
उप मनोरंजन कर आयुक्त।